तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-7-25	**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 70/2023 (2023/201) अरूण कुमार वनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अरूण कुमार पुत्र गोकूलराम जाति तंवर निवासी ग्राम धून्धाड़ा तहसील लूणी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 482, 501, 508, 509 एवं 363 वाके ग्राम धून्धाड़ा में आई हुई है। उपरोक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता गोकलराम पुत्र लूम्बाराम के नाम से दर्ज थी। गोकलराम के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि प्रार्थी एवंम् प्रार्थी के भाईयो के नाम से इन्द्राज की गई। परन्तु त्रुटि से प्रार्थी का नाम अरूण कुमार के स्थान पर अमराराम पुत्र गोकलराम दर्ज कर दिया गया। जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम अमराराम के स्थान पर अरूण कुमार दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम धुन्धाड़ा के खसरा नम्बर 482, 501, 508, 509 में अमराराम पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/24 जाति कलाल का नाम सयुक्त खातेदारी में दर्ज है जो कि वर्तमान जमाबंदी 2075-78 के खाता संख्या 338 में दर्ज है। ग्राम रामगढ़ के खसरा नम्बर 363 में अमराराम पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/8 जाति कलाल सह खातेदारी में दर्ज है। जो कि वर्तमान जमाबंदी खात संख्या 160 में दर्ज है। ग्राम धुन्धाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 309 व 310 में गोकलराम फौत से अमराराम का नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज हुआ है। ग्राम धुन्धाड़ा के खसरा नम्बर 528/1 में प्रार्थी का नाम अरूण कुमार हिस्सा 1/40 जाति कलाल सहखातेदारी में दर्ज है। अमराराम व अरूण कुमार एक ही व्यक्ति होना बताया है। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैनकार्ड, बैक डायरी, अंक तालिका व जाति प्रमाण पत्र इत्याद पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम धुन्धाड़ा के खसरा नम्बर 482, 501, 508, 509 हिस्सा 1/24 एवं ग्राम रामगढ़ के खसरा नम्बर 363 हिस्सा 1/8 में प्रार्थी का नाम अमराराम पुत्र गोकलराम के स्थान पर अमराराम उर्फ अरूण कुमार पुत्र गोकलराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	